विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–2
(विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित जानकारी)
बुधवार, 19 जून, 2024 / 29 ज्येष्ठ, 1946 (शक्)

संख्या : 147

विषयः श्री राज कुमार आनंद, माननीय सदस्य की निरर्हता।

माननीय सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(ए) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(2), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 16 और दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल–परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत श्री राज कुमार आनंद {जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र–24 (पटेल नगर) से चुने गए थे} को 06 मई, 2024 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्य ठहराया है।

जिसके परिणाम स्वरूप, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र–24 (पटेल नगर) की सीट खाली हो गई है और सदन में एक सीट रिक्त हो गई है।

सदानंद साह
उप सचिव (विधायी)

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OLD SECRETARIAT, DELHI 110054

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other Matters)
Wednesday, 19 June, 2024/Jayeshta 29, 1946 (Shaka)

No. 147

Sub: Disqualification of Shri Raaj Kumar Anand, Hon'ble Member.

Hon'ble Members are hereby informed that the Hon'ble Speaker under Para 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India read with Article 191(2) of the Constitution of India, Section 16 of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and Rule 8 of The Members of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1996 has disqualified Shri Raaj Kumar Anand [who had been elected from Assembly Constituency – 24 (Patel Nagar)] from being a Member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi with effect from 6th May, 2024.

Consequent upon this, the seat of Assembly Constituency – 24 (Patel Nagar) has fallen vacant and a vacancy has occurred in the House.

(Sadanand Sah)
Dy. Secretary (Legislation)